न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 74/2019 दायर तारीख :– 08-08-2019

1. मक्खन
2. हनुमान सहाय
3. जगदीश प्रसाद

पुत्रान स्व0 ग्यारसा जाति बलाई निवासी बहादुरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

4. कमली देवी पुत्री स्व0 ग्यारसा पत्नि बनवारी जाति बलाई निवासी चतरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0। –– प्रार्थीगण

बनाम

1. भौंरीलाल
2. लीलाराम

पुत्रान स्व0 बोदू जाति बलाई निवासी बहादुरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

3. बनारसी पुत्री स्व0 बोदू पत्नि रामचन्द्र जाति बलाई निवासी अस्थल की ढाणी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0।
4. उपपंजीयक विराटनगर उपपंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जयपुर राज0।

––प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 01.01.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा के साबिक आराजी खसरा नंबर 685 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा तथा साबिक खसरा नंबर 695 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खतौनी बंदोबस्त सवंत् 2012 से 2027 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 685 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण का पिता ग्यारसा वल्द नाथा ही खातेदार काश्तकार तथा जमाबंदी संवत् 2031–2034 में भी खातेदारी प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा वल्द नाथा के नाम से ही अंकित है। यह है कि मूल वाद ग्यारसा बनाम बोदू में ग्यारसा व बोदू दोनों ही फौत हो चुके है। तथा न्यायालय ए.सी.एम शाहपुरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.1986 की प्रथम अपील बोदू वारिसान द्वारा पेश किए थी तथा द्वितीय अपील भी बोदू के वारिसान द्वारा पेश की गई है, जिसमें उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 है, जो बोदू के वारिसान तथा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 जो ग्यारसा के वारिसान है, जो दोनों अपीलों में पक्षकार रहे है, इस प्रकार दोनों के वारिसान मूल वाद में पहले से ही पक्षकार होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाते हुए श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह है कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 685 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1070 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1071 रकबा 0.50 हैक्टेयर कायम किए गए है। यह है कि हाल बन्दोबस्त के दौरान नवीन खसरा नंबर 1070 व 1071 को अप्रार्थीण के पिता बोदू ने छल पूर्वक भू–प्रबंध कर्मचारियों से सांठ–गाठ कर पर्चा खातेदारी अपने नाम दर्ज

करवा ली। भू–प्रबंध विभाग को महज पूर्व इन्द्मजात को ही दौराने का अधिकार है। नये व्यक्ति के नाम खातेदारी अंकित करने का अधिकार नहीं है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी के निर्णय व न्यायालय के डिक्री के अभाव में जो बोदू (अप्रार्थीगण के पिता) के नाम खातेदारी प्रदान की थी, वह प्रारंभ से ही अवैध व प्रभाव शून्य थी, जिसे भूमि वादग्रस्त के वास्तविक खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा ने तत्समय सक्षम न्यायालय ए.सी.एम शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष विवादित वाद संख्या 27/1986 उनवानी ग्यारसा बनाम बोदू दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था, जो बाद सुनवाई उभय पक्ष न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.1986 के द्वारा वादी ग्यारसा का वाद डिक्री किया जाकर हाल बंदोबस्त के बाद जो नवीन खसरा नंबर 1070 व 1071 में नाम खातेदारी बोदू का अंकित जो गया था, उसे हटाकर उसके स्थान पर खातेदारी व कब्जा काश्त ग्यारसा के नाम अंकित करने के आदेश दिए गए थे, बाद में ग्यारसा के फौत हो जाने के बाद नियमानुसार न्यायालय ए.सी.एम शाहपुरा के डिक्री की पालना में हाल आराजी खसरा नंबर 1070 व 1071 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम अंकित राजस्व रिकॉर्ड की गई, परन्तु उक्त खसरा नंबर व उसके साबिक खसरा नंबर पर शुरू से लेकर आज दिनांक तक भी कब्जा काश्त पहले ग्यारसा का स्वयं उसके साथ व उसके फौत हो जाने के बाद प्रार्थीगण की ही रहा है। एवं आज भी मौके पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है, जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी अप्रार्थीगण व उनके पिता बोदू को रही है। यह है कि दिनांक 29.10.2013 को माननीय श्रीमान के समक्ष ए.सी.एम शाहपुरा के बाद में प्रतिवादी रहे बोदू के वारिसान ने वादी ग्यारसा के वारिसान के विरूद्व एक वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जो माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीगण(ग्यारसा के वारिसान) का प्रार्थना पत्र धारा 11 आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण जिनमें तत्समय इनकी माता गुल्ली देवी भी जिन्दा थी। अब वह फौत हो गई है का वाद खारिज फरमा दिया गया था, उक्त वाद में भी अप्रार्थीगण ने यह कही पर भी अंकित नहीं किया था कि साबिक खसरा नंबर 685 की खातेदारी व कब्जा काश्त बोदू का रहा है केवल मात्र हाल सैटलमेंट के बाद नवीन खसरा नंबर में नाम आने की बात की ही राम अलाप किया है, इससे स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 685 ये अप्रार्थीगण या उनके पिता का कभी किसी प्रकार का कोई खातेदारी या कब्जा काश्त का संबंध नहीं रहा है एव ंना ही आज ही है। यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय ए.सी.एम शाहपुरा के निर्णय डिक्री दिनांक 09.07.1986 की द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष पेश की जिसमें न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2017 के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.1986 न्यायालय ए.सी.एम शाहपुरा तथा निर्णय दिनांक 24. 04.2015 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को इस आधार पर अपासत कर प्रकरण को रिमाण्ड किया कि सहायक कलेक्टर शाहपुरा जयपुर द्वारा पारित निर्णय में दोनों पक्षों को निये सिरे से सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित कर प्रकरण का 6 माह में निस्तारण करें, इसके बाद पत्रावली न्यायालय श्रीमान को प्राप्त हुए जहां पर दर्ज होकर दोनों पक्षों के नोटिस जारी हुए दोनों पक्ष उपस्थित होने के बाद अप्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी का पेश किया कि न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने निर्णय में ए.सी.एम शाहपुरा

के निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमा दिया गया है, इसलिए अब हाल खसरा नंबर 1071 व 1071 की खातेदारी हम अप्रार्थीगण के नाम अंकित की जावें। अतः निवेदन है कि सभी अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद पाबंद फरमाया जावे कि वे यदि अप्रार्थीगण के नाम मूल वाद में पेश किए गए धारा 144 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र के स्वीकार होने के पश्चात यदि खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम अंकित हो जाती है तो उक्त सभी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पांबद फरमाया जावे कि वे हाल खसरा नंबर 1070/0.28 व 1071/0.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर को किसी भी कदर रहन बय विक्रय हस्तान्तरण पंजीयन डीड आदि नहीं करें ना ही करावें तथा प्रार्थीगण को उक्त आराजी के कब्जे काश्त से जबरन बेदखल नहीं करें ना ही करावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल भू–प्रबंध (सैटलमेंट) विभाग संवत् 2012–2027 ग्राम जयसिंहपुरा खसरा नंबर 685, पर्चा चकबंदी सैटलमेंट विभाग ग्राम जयसिंहपुरा खसरा नंबर 695, नकल जमाबन्दी साबिक ग्राम जयसिंहपुरा संवत् 2035–2038, नकल जमाबन्दी नकल जमाबंदी हाल खसरा नंबर 1070, 1071 ग्राम जयसिंहपुरा, नकल नामान्तकरण आदि पेश किये।
4. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कथन रहे कि रहे कि जिम्मन संख्या 2 में प्रार्थीगण यह स्वयं सिद्व करे क्योंकि प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी 1070 व 1071 का पर्चा जारी किया हुआ है और खसरा नंबर 685 कर मिलान क्षेत्रफल रिकॉर्ड अनुसार 1068/0.72, 1069/0.39, 1070/0.28, 1071/0.50 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.89 हैक्टेयर रहा है, जिनमें प्रतिवादीगण के पिता के नाम बोदू पुत्र ग्यारसा के नाम खातेदारी दर्ज रही है। जिसमें खसरा नंबर 1070 व 1071 प्रतिवादीगण के नाम आ गई तो उस समय खसरा नंबर 1068 व 1069 किसके नाम रही यह स्पष्ट नहीं किया है। यह है कि प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 685 के हाल खसरा नंबर 1070 व 1071 के अलावा खसरा नंबर 1068 व 1069 भी रहे है। प्रतिवादीगण के पिता ने किस प्रकार से छल किया वह प्रार्थीगण ही सिद्व करे एवं दिनांक 09.07.1986 को निर्णय हुआ था, इसमें न्यायालय श्रीमान ने राजीनामा को आधार मानकर निर्णय दिया। जबकि ग्यारसा व बोदू ने उपरोक्त खसरा नंबर पर आधा–आधा कब्जा स्वीकार किया था, उसी आधार पर निर्णय दिया जाना था। तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें एवं पूर्व राजीनामा दिनांक 03.01.1986 के अनुसार उक्त निर्णय को पारित फरमाया जावें।
5. उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अपने पक्ष में निम्न 3 बिन्दु स्थापित करने है–

(1). **प्रथम दृष्टया मामलाः–** उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। उक्त बिन्दु के संबंध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा के साबिक आराजी खसरा नंबर 685 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा तथा साबिक खसरा नंबर 695 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खतौनी बंदोबस्त सवंत् 2012 से 2027 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 685 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण का पिता ग्यारसा वल्द नाथा ही खातेदार काश्तकार तथा जमाबंदी संवत् 2031–2034 में भी खातेदारी प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा वल्द नाथा के नाम से ही अंकित है। यह है कि

मूल वाद ग्यारसा बनाम बोदू में ग्यारसा व बोदू दोनों ही फौत हो चुके है। तथा न्यायालय ए.सी.एम शाहपुरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.1986 की प्रथम अपील बोदू वारिसान द्वारा पेश किए थी तथा द्वितीय अपील भी बोदू के वारिसान द्वारा पेश की गई है, जिसमें उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 है, जो बोदू के वारिसान तथा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 जो ग्यारसा के वारिसान है, जो दोनों अपीलों में पक्षकार रहे है, इस प्रकार दोनों के वारिसान मूल वाद में पहले से ही पक्षकार होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाते हुए श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह है कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 685 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1070 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1071 रकबा 0.50 हैक्टेयर कायम किए गए है। यह है कि हाल बन्दोबस्त के दौरान नवीन खसरा नंबर 1070 व 1071 को अप्रार्थीण के पिता बोदू ने छल पूर्वक भू–प्रबंध कर्मचारियों से सांठ–गाठ कर पर्चा खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। खण्डन में अप्रार्थीगण अधिवक्ता का तर्क रहा है कि खसरा नंबर 685 कर मिलान क्षेत्रफल रिकॉर्ड अनुसार 1068/0.72, 1069/0.39, 1070/0.28, 1071/0.50 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.89 हैक्टेयर रहा है, जिनमें प्रतिवादीगण के पिता के नाम बोदू पुत्र ग्यारसा के नाम खातेदारी दर्ज रही है। जिसमें खसरा नंबर 1070 व 1071 प्रतिवादीगण के नाम आ गई तो उस समय खसरा नंबर 1068 व 1069 किसके नाम रही यह स्पष्ट नहीं किया है। यह है कि प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 685 के हाल खसरा नंबर 1070 व 1071 के अलावा खसरा नंबर 1068 व 1069 भी रहे है। तथा दिनांक 09.07.1986 को निर्णय हुआ था, इसमें न्यायालय श्रीमान ने राजीनामा को आधार मानकर निर्णय दिया। जबकि ग्यारसा व बोदू ने उपरोक्त खसरा नंबर पर आधा–आधा कब्जा स्वीकार किया था, उसी आधार पर निर्णय दिया गया था। इस बाबत कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाये है।

(2). **सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनों बिन्दुओं को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था जिसके संबंध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता को तर्क रहा है कि प्रार्थीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया गया तो उसे भारी असुविधा होगी एवं क्षति पहुंचेगी। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि खसरा नंबर 685 कर मिलान क्षेत्रफल रिकॉर्ड अनुसार 1068/0.72, 1069/0.39, 1070/0.28, 1071/0.50 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.89 हैक्टेयर रहा है, जिनमें प्रतिवादीगण के पिता के नाम बोदू पुत्र ग्यारसा के नाम खातेदारी दर्ज रही है। जिसमें खसरा नंबर 1070 व 1071 प्रतिवादीगण के नाम आ गई तो उस समय खसरा नंबर 1068 व 1069 किसके नाम रही यह स्पष्ट नहीं किया है। यह है कि प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 685 के हाल खसरा नंबर 1070 व 1071 के अलावा खसरा नंबर 1068 व 1069 भी रहे है। तथा दिनांक 09.07.1986 को निर्णय हुआ था, इसमें न्यायालय श्रीमान ने राजीनामा को आधार मानकर निर्णय दिया। जबकि ग्यारसा व बोदू ने उपरोक्त खसरा नंबर पर आधा–आधा कब्जा स्वीकार किया था, उसी आधार पर निर्णय दिया गया था। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञान होता है कि प्रार्थीगण अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में साबित हो सकें। प्रार्थीगण यह बताने में असफल रहे कि खसरा नंबर 685 के मिलान क्षेत्रफल रिकॉर्ड अनुसार 1068/0.72, 1069/0.39, 1070/0.28,

1071/0.50 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.89 हैक्टेयर रहा है, जिनमें प्रतिवादीगण के पिता के नाम बोदू पुत्र ग्यारसा के नाम खातेदारी दर्ज रही है। जिसमें खसरा नंबर 1070 व 1071 प्रतिवादीगण के नाम आ गई तो उस समय खसरा नंबर 1068 व 1069 किसके नाम रही यह स्पष्ट नहीं किया है। यह है कि प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 685 के हाल खसरा नंबर 1070 व 1071 के अलावा खसरा नंबर 1068 व 1069 भी रहे है। तथा दिनांक 09.07.1986 को निर्णय हुआ था, इसमें न्यायालय श्रीमान ने राजीनामा को आधार मानकर निर्णय दिया। जबकि ग्यारसा व बोदू ने उपरोक्त खसरा नंबर पर आधा–आधा कब्जा स्वीकार किया था, उसी आधार पर निर्णय दिया गया था, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं करने पर उन्हें किस प्रकार असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण दोनों बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं करने पर उन्हें किस प्रकार असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण दोनों बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई साक्ष्य दस्तोवज पेश नहीं किए गए, जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति साबित होती हो। प्रार्थीगण तीनों बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, जिस कारण वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2020.02.17 11:49:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: